

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक (का)
वाराणसी

सं० ई/239/अनुकम्पा अदालत/2019

दिनांक : 01.11.19

सभी शाखा अधिकारी,
सभी समई
सभी समंसिद्धं
सभी कोचिंग डिपो अधिकारी

विषय : दिनांक 27.11.2019 अनुकम्पा अदालत/2019 का आयोजन ।

संदर्भ : महाप्रबंधक (का)/गोरखपुर का पत्र सं० ई/239/अनुकम्पा अदालत/2019/पाँच दिनांक 31.10.19 ।

महाप्रबंधक (का.), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर के निर्देशानुसार इस मंडल पर लम्बित अनुकम्पा आधारीय नियुक्ति को त्वरित निस्तारण हेतु पूर्व में निर्धारित दिनांक 01.11.2019 को "अनुकम्पा अदालत" लगाने का निर्णय लिया गया था । इसके लिये आवेदन दिनांक 15.10.2019 तक आमंत्रित किया जाना था ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार अनुकम्पा अदालत/2019 दिनांक 01.11.19 के स्थान पर दिनांक 27.11.19 दिन बुधवार को आयोजित की जायेगी तथा दिनांक 15.11.19 तक आवेदनपत्र प्राप्त किया जायेगा ।

उपरोक्त के लिये सीफसी/मरेप्र कार्यालय/वाराणसी में मामलों को पंजीकृत किया जायेगा और उसे "अनुकम्पा अदालत" के 22.11.2019 को सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी स्तर पर निस्तारित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी । जिन मामलों का निस्तारण उनके स्तर पर नहीं हो सकेगा, उसे अंतिम रूप से मरेप्र स्तर पर निर्धारित अनुकम्पा अदालत दिनांक 27.11.2019 (बुधवार) से पूर्व निपटाया जायेगा ।

उपरोक्त के आलोक में सर्व-सम्बन्धित से अनुरोध है कि इसका पुनः अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में प्रचारित करने की कृपा करें, ताकि अनुकम्पा आधार पर लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके ।

(समीर पॉल)

मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित ।

1. मरेप्र/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी
2. मंडल मंत्री/नरमू/वाराणसी
3. मंडल मंत्री/एससी व एसटी/ओबीसी/एसोशियेशन/वाराणसी
4. नोटिस बोर्ड

5-239-अनुकम्पा अदालत

(समीर पॉल)

मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी